






तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
13 ⁰⁶ / ₂₃	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/06/2023 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  सैयदखण्ड अधिकारी रावतभाटा </div>	
15 ⁰⁶ / ₂₀₂₃	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी परोकार सरकार की वाद शामिल प्राप्त जो शा. फा. की गई। पीठासीन अधिकारी मही. प्रशा. गाँवों के संग अभि० 2023 (MRC - 2023) में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 11/07/2023 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  B.O. </div>	
11 ⁰⁷ / ₂₃	पत्रावली पेश हुई। वकील अर्धी उपस्थित। परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा न्यायालय में उपस्थित हैं पत्रावली में NO-objection प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी गिर जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते बरस 2023 का अन्तिम दिनांक 18/07/2023 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  S.D.O. </div>	No objection 
18 ⁰⁷ / ₂₀₂₃	पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्षकारण उपस्थित। वकील अर्धी ने शा. फा. द्वारा 128 वा. से. 2. चक्र पर बरस शुरू। उच्च पक्ष को श्रुत गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज का अवलोकन किया। बरस पर अनुरोध किया गया।	

ज़मीन अपने खोलेगरी ज़मीन को पल्लरगदी करना चाहता है तथा पेशेकार सरकार के सहगरी व्यस्त करने से पत्रावली ज़मीन का ज़ा. पत्र धारा -128 स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः ज़मीन का ज़ा. पत्र धारा -128 बाबत पल्लरगदी का स्वीकार किया जाता है। पल्लरगदी का आदेश। निम्न पृथक से लिखता जाकर खुले न्यायालय के रजिस्ट्रार में सुनाया गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल पत्र हो

उपखण्ड अधिकारी
 रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

ज़मीन का खोलेगरी ज़मीन को पल्लरगदी करना चाहता है तथा पेशेकार सरकार के सहगरी व्यस्त करने से पत्रावली ज़मीन का ज़ा. पत्र धारा -128 स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः ज़मीन का ज़ा. पत्र धारा -128 बाबत पल्लरगदी का स्वीकार किया जाता है। पल्लरगदी का आदेश। निम्न पृथक से लिखता जाकर खुले न्यायालय के रजिस्ट्रार में सुनाया गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल पत्र हो